**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2160**

**दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

## आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों का उपचार

**2160. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (डीएनएच और डीडी) में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने वाले कुल रोगियों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र डीएनएच एवं डीडी प्रशासन द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत मरीजों के उपचार पर आये कुल खर्च का ब्यौरा क्या है;
(ग) गत पांच वर्षों के दौरान संघ राज्यक्षेत्र डीएनएच और डीडी से कितने रोगियों ने संघ राज्यक्षेत्र के बाहर स्थित अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त किया है;
(घ) क्या संघ राज्यक्षेत्र डीएनएच तथा डीडी प्रशासन को गुजरात तथा देश भर के अन्य राज्यों में स्थित अस्पतालों को कोई बकाया राशि का भुगतान करना है; और
(ङ) यदि हां, तो ऐसी बकाया राशि कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) और (ख): दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (डीएनएच एवं डीडी) संघ राज्य क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों की कुल संख्या और उसमें शामिल राशि का जिलावार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएनएच एवं डीडी संघ राज्य क्षेत्र के बाहर स्थित अस्पतालों में एबी-पीएमजेएवाई के तहत 9458 अस्पताल प्रवेशों को अधिकृत किया गया है।

(घ) और (ङ): इस योजना के अंतर्गत, दावों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है और दावों का निपटान संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है। पोर्टेबिलिटी (राज्य के बाहर) उपचारों का भुगतान लाभार्थी के

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य के भीतर स्थित अस्पतालों (राज्य के भीतर स्थित अस्पताल) के लिए दावा प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर और पोर्टेबिलिटी दावों (राज्य के बाहर स्थित अस्पताल) के मामले में 30 दिनों के भीतर अस्पतालों को दावे के भुगतान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

**अनुबंध**

एबी-पीएमजेएवाई के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएनएच और डीडी संघ राज्य क्षेत्र में उपचार का जिला-वार विवरण

| वित्त वर्ष | दमन | | दीव | | दादरा और नगर हवेली | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मरीजों की संख्या | राशि (करोड़ रुपये में) | मरीजों की संख्या | राशि (करोड़ रुपये में) | मरीजों की संख्या | राशि (करोड़ रुपये में) |
| 2020-21 | 3556 | 2.08 | 567 | 0.58 | 14,820 | 8.88 |
| 2021-22 | 3997 | 2.90 | 508 | 1.28 | 16,112 | 10.44 |
| 2022-23 | 4495 | 3.48 | 619 | 1.50 | 16,378 | 11.33 |
| 2023-24 | 3653 | 3.06 | 455 | 1.41 | 13,312 | 9.58 |
| 2024-25 | 4247 | 4.66 | 550 | 1.74 | 17,374 | 13.27 |

*****